पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

बिसि देवी एवं अन्य

बनाम

जितेन्द्र सिंह एवं अन्य

2023 का दीवानी विविध क्षेत्राधिकार सं. 827
24 जून, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या प्रतिदावे को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बहुत विलम्ब से स्वीकार किया जा सकता था तथा जब प्रतिदावे की विषय-वस्तु पर आपत्ति की गई थी?

हेडनोट्स

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश VIII, नियम 6A—प्रतिदावा—याचिकाकर्ताओं ने स्वत्व वाद दायर किया है—अनुसूची 1ए और अनुसूची 1बी भूमि पर वादी/याचिकाकर्ता के शीर्षक की घोषणा की मांग की है; और वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ कब्जे की वसूली के लिए प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी-अपनी दीवार और बाड़ हटा लें और अनुसूची 1ए और 1बी भूमि का खाली कब्जा वादी को सौंप दें, इसके अलावा स्थायी निषेधाज्ञा की राहत मांगी है—प्रतिवादियों ने अपने प्रतिदावे में यह राहत मांगी है कि प्रतिदावे की अनुसूची 1 की भूमि को दिनांक 06.06.1968 के विभाजन विलेख के अनुसार सीमांकित किया जाए—वादी का दावा केवल कुछ प्रतिवादियों/प्रतिवादियों के खिलाफ है—प्रतिवादियों ने न केवल वादी के दावे के खिलाफ बल्कि भूमि के कुछ अन्य हिस्सों के संबंध में भी प्रतिदावा किया है।

निर्णीतः प्रतिवादी केवल वादी/याचिकाकर्ता के दावे के खिलाफ ही जवाबी दावा दायर करने के हकदार हैं - विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की है, क्योंकि उसने जवाबी दावे को स्वीकार करने में केवल देरी के आधार पर विचार किया, न कि योग्यता पर - विवादित आदेश को खारिज किया जाता है - याचिका स्वीकार की जाती है।

(पैराग्राफ 9 से 14)

न्याय दृष्टान्त

सत्येन्द्र एवं अन्य बनाम सरोज एवं अन्य, एआईआर 2007 एससी 4732—भरोसा किया गया।

रोहित सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड राज्य) एवं अन्य, **एआईआर 2007 एससी 10**; रमेश चंद अरदावतिया बनाम अनिल पंजवानी, **एआईआर 2003 एससी 2508**; गणेश तिवारी एवं अन्य बनाम रमाकांत तिवारी एवं अन्य, **(2007) 1 जेएलजेआर 472 (एचसी)**—संदर्भित किया गया।

जग मोहन चावला और अन्य. बनाम डेरा राधा स्वामी, सत्संग और अन्य, **एआईआर 1996 एससी 2222**-प्रतिष्ठित किया गया।

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

मुख्य शब्दों की सूची

स्ट्रिक्टो सेन्सु, शाश्वत निषेधाज्ञा, विभाजन वाद, प्रतिदावा

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान मुंसिफ, दलसिंहसराय द्वारा टाइटल सूट संख्या 34/2007 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2023 से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री वैदेही रमन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से: श्री रंजन कुमार दुबे, अधिवक्ता; श्री कुमार गौरव, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 का दीवानी विविध क्षेत्राधिकार सं. 827

==========

1. बिसी देवी पति स्वर्गीय गंगा प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम-गोशपुर, थाना-दलसिंगसराय, जिला-समस्तीपुर।

2. अभिषेक राज पिता स्वर्गीय उमा शंकर प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम-गोशपुर थाना- दलसिंगसराय, जिला-समस्तीपुर।

3. अनिकेत राज पिता स्वर्गीय उमा शंकर प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम-गोशपुर, थाना- दलसिंगसराय, जिला-समस्तीपुर।

4. कुमारी मधु पति स्वर्गीय उमा शंकर प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम-गोशपुर, थाना-दलसिंगसराय, जिला-समस्तीपुर।

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. जितेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय राम ललित सिंह, निवासी ग्राम- गोशपुर, थाना- दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर।

3. कृष्णदेव सिंह पिता स्वर्गीय धनराज सिंह, निवासी ग्राम-गोशपुर पुलिस थाना- दलसिंगसराय, जिला-समस्तीपुर।

4. अशोक कुमार पिता कृष्णदेव सिंह, निवासी ग्राम-गोशपुर थाना- दलसिंगसराय, जिला-समस्तीपुर।

5. आलोक कुमार पिता कृष्ण देव सिंह निवासी ग्राम-गोशपुर थाना-दलसिंगसराय, जिला-समस्तीपुर।

6. अरुण कुमार पिता कृष्णदेव सिंह निवासी ग्राम-गोशपुर थाना-दलसिंगसराय, जिला समस्तीपुर।

7. देव कुमारी पिता स्वर्गीय गंगा प्रसाद सिंह और पति धनीकलाल सिंह निवासी ग्राम-तारसपुर, थाना-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर

8. रूबी कुमारी पिता स्वर्गीय गंगा प्रसाद सिंह और पति साकेत बिहारी निवासी ग्राम-सिमिरी, थाना -विद्यापीठ नगर, जिला समस्तीपुर।

9. रोजी कुमारी पिता स्वर्गीय गंगा प्रसाद सिंह और पति देवेंद्र कुमार निवासी ग्राम- बछौता, थाना- मोरकाही, जिला-खगड़िया।

... ...उत्तरवादी/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री वैदेही रमन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता

उत्तरवादी/ओं की ओर से : श्री रंजन कुमार दुबे, अधिवक्ता

श्री कुमार गौरव, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सीएवी निर्णय

दिनांक: 24-06-2025

वर्तमान सिविल विविध याचिका, विद्वान मुंसिफ, दलसिंहसराय द्वारा टाइटल सूट संख्या 34/2007 में पारित दिनांक 20.07.2023 के आदेश को दरकिनार करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान मुंसिफ ने प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के जवाबी दावे को स्वीकार किया था।

2. मामले के तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि याचिकाकर्ता वादी हैं और प्रतिवादी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी हैं और वादी/याचिकाकर्ताओं ने विद्वान जूनियर डिवीजन, दलसिंहसराय के न्यायालय में टाइटल सूट संख्या 34/2007 दायर किया है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* वाद की अनुसूची 1ए और अनुसूची 1बी भूमि पर उनके स्वामित्व की घोषणा और प्रतिवादियों को अनुसूची 1ए और अनुसूची 1बी भूमि से अपनी-अपनी दीवारें और बाड़ हटाने का निर्देश देकर कब्जे की वसूली की मांग की गई है और साथ ही प्रतिवादियों को मुकदमे की भूमि पर कोई भी दावा करने और मुकदमे की भूमि के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा देने की भी मांग की गई है। वादी और प्रतिवादी समान पूर्वजों के वंशज हैं और 06.06.1968 को संयुक्त परिवार की संपत्ति का पंजीकृत विभाजन हुआ था 1 को उक्त भूखंड के मध्य में 12 डिसमिल जमीन आवंटित की गई थी। उत्तर से 25 डिसमिल प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पूर्वज धनराज सिंह के परिवार को आवंटित की गई थी, और सुदूर दक्षिण से 7 डिसमिल मिश्री

लाल सिंह के हिस्से को आवंटित की गई थी, जिनके वंशज प्रतिवादी प्रथम पक्ष हैं। विभाजन के पक्षकारों को आवंटित भूमि के हिस्से का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद, संबंधित पक्षों के बीच मेड़ों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और अंचल अधिकारी, दलसिंहसराय ने अंचल अमीन के माध्यम से भूमि की मापी कराई और भूमि का सीमांकन किया। वादी/याचिकाकर्ता का दावा है कि सितंबर 2007 में प्रतिवादी प्रथम और द्वितीय पक्ष ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके क्रमशः 15 धूर और 10 धूर जमीन पर अतिक्रमण कर लिया और उक्त अतिक्रमित हिस्से को बांस से घेर दिया। प्रतिवादी उपस्थित हुए और उन्होंने अपना लिखित बयान दायर किया और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष (प्रतिवादी संख्या 3 से 6) ने 06.06.1968 के बंटवारे को स्वीकार किया लेकिन दावा किया कि आपसी सहमति से पक्षों के बीच कुछ धुर जमीन का आदान-प्रदान हुआ था और पक्षों ने अपनी-अपनी जमीन पर आवास, *दालान, बथान* आदि का निर्माण किया और बाकी जमीन का उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए किया गया था। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने कहा कि अगर भूमि का सीमांकन 06.06.1968 के बंटवारे के अनुसार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने आगे दावा किया कि 25 डेसीमल की जमीन विवादित जमीन नहीं है और उन्होंने लिखित बयान की अनुसूची 1 में जमीन की माप के लिए जवाबी दावा दायर किया, जिसमें कुल 9 प्लॉट थे, जिनका माप 68 1/2 डेसीमल था 2054 में दिनांक 06.06.1968 के विभाजन के अनुसार और सर्वेक्षण जानकार प्लीडर कमिश्नर द्वारा आनुपातिक रूप से अलग-अलग *पट्टियाँ* बनवाने और संबंधित पक्षों को उनका कब्जा देने के लिए। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी 2 और पक्ष / प्रतिवादी 3 से 6 के प्रतिदावे पर सरायकेदार से 16.04.2008, 22.04.2008, 29.04.2008,

13.05.2008 को रिपोर्ट मांगी, लेकिन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद, 02.01.2009 को मुद्दे तय किए गए। वादी ने अपने गवाहों की जांच की और वादी का साक्ष्य 21.12.2018 को बंद कर दिया गया। इसके बाद प्रतिवादी नंबर 3 के गवाहों की परीक्षा शुरू हुई और गवाहों में से एक की क्रमशः 12.04.2019 और 03.05.2019 को आंशिक रूप से जांच और जिरह की गई। 24.01.2020 को प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रतिदावा 28.04.2008 को दायर किया गया था और 16.04.2008 को न्यायालय ने सिस्तेदार से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन उक्त रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई और 16.04.2008 को पारित आदेश के आलोक में रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया गया था। 07.02.2020 के आदेश के तहत, 24.01.2020 की याचिका को स्वीकार कर लिया गया और सिस्तेदार को प्रतिदावे पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। सिस्तेदार की रिपोर्ट के बाद, प्रतिवादी ने प्रतिदावे पर न्यायालय शुल्क दायर किया और मामले को प्रतिदावे की स्वीकृति के बिंदु पर सुनवाई के लिए नियत किया गया था। विद्वान मुंसिफ ने 20.07.2023 के आदेश के माध्यम से जवाबी दावे को स्वीकार कर लिया और उक्त आदेश को इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वत विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किए बिना एक त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है कि प्रतिदावा बहुत देरी के बाद अभिलेख पर लाया गया था और यह सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "कोड") के आदेश VIII नियम 6 बी के नियमों के अनुरूप नहीं है। वाद की संपत्ति भी अलग है। वाद में, विवादित संपत्ति सी.एस. प्लॉट संख्या 2054 (अनुसूची 1 ए भूमि) के 15 धुर और सी.एस. प्लॉट संख्या 2054 (अनुसूची 1 बी भूमि) के 10 धुर हैं, जिनके

बारे में वादी ने दावा किया था कि यह वादी के पूर्वजों का आवंटित हिस्सा था और जिस पर प्रतिवादी 1 और 2 सेट द्वारा अतिक्रमण किया गया था। वादी ने वाद की अनुसूची 1 ए और अनुसूची 1 बी भूमि पर अपने स्वामित्व की घोषणा और उक्त भूमि के कब्जे की वसूली की राहत मांगी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि दूसरी ओर, विचाराधीन भूमि सी.एस. प्लॉट संख्या 2054 का 25 डेसीमल है, जो प्रतिवादी दूसरे पक्ष के पूर्वजों के हिस्से में आठ अन्य प्लॉटों के साथ आवंटित है और कुल क्षेत्रफल 68.5 डेसीमल है और मांगी गई राहत, विभाजन दिनांक 06.06.1968 के अनुसार 68.5 डेसीमल माप वाले 9 प्लॉटों वाले लिखित बयान की अनुसूची 1 भूमि की माप के लिए है और एक सर्वेक्षण जानकार प्लीडर कमिश्नर द्वारा आनुपातिक रूप से अलग-अलग पट्टियां बनाने और संबंधित पक्षों को उनका कब्जा देने के लिए है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि जैसे ही वाद की संपत्ति बदल गई, प्रतिदावा पोषणीय नहीं रहता है और प्रतिवादी के पास एक अलग वाद दायर करने का विकल्प है। विद्वान अधिवक्ता ने ***सत्येंद्र एवं अन्य बनाम सरोज एवं अन्य*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया। ***एआईआर 2007 एससी 4732*** में रिपोर्ट किया गया था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रतिदावा केवल वादी के दावे के विरुद्ध ही स्थापित किया जा सकता है और मामले के तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वादी का दो भूखंडों के संबंध में कोई दावा नहीं था, प्रतिवादियों को इन भूखंडों पर कोई प्रतिदावा करने से रोक दिया गया था। इसी प्रकार, वर्तमान मामले में प्रतिवादियों/प्रतिवादियों ने न केवल वादी के दावे के विरुद्ध, बल्कि भूमि के कुछ अन्य हिस्सों के संबंध में भी प्रतिदावा किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में आगे यह

माना था कि मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए विधानमंडल प्रतिदावा पेश करने की अनुमति देता है। लेकिन प्रतिदावा न्यायालय के आर्थिक अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए और ऐसा प्रतिदावा वादी के दावे के विरुद्ध होना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिदावे में दावा की गई राहत, दिनांक 06.06.1968 के विभाजन के पक्षकारों को पक्षकार बनाए बिना प्रदान नहीं की जा सकती। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि चूँकि प्रतिदावे को मुद्दों के निपटारे से पहले रिकॉर्ड पर लाने की माँग नहीं की गई थी, इसलिए इसे बाद के चरण में अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, वादी पक्ष की गवाही बंद हो चुकी है और मामला प्रतिवादियों की गवाही के चरण में चल रहा है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने लगभग 12 वर्षों तक प्रतिदावे को स्वीकार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इतने विलंब के बाद सिस्तेदार से रिपोर्ट माँगने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

विद्वान अधिवक्ता ने इसके बाद ***रोहित सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड राज्य) एवं अन्य*** के मामले का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट ***एआईआर 2007 एससी 10*** में दी गई थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि लिखित बयान दाखिल होने के बाद भी प्रतिदावा बेशक दायर किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुद्दे तय होने और साक्ष्य बंद होने के बाद भी प्रतिदावा उठाया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि मुकदमे के मुद्दे तय होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 3 से 17 के तथाकथित प्रतिदावे पर विचार करना, विचारण न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बाहर था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि मुकदमे में वादी के खिलाफ प्रतिदावा

आवश्यक रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए, हालांकि संयोगवश या इसके साथ, वह मुकदमे में सह-प्रतिवादी के खिलाफ भी राहत का दावा कर सकता है। ***रोहित सिंह*** (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि साक्ष्य बंद होने के बाद, हस्तक्षेपकर्ताओं को पक्षकार बनाने का कोई अवसर नहीं था। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मामले के दिए गए तथ्यों में, विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिदावा स्वीकार करने में अपने अधिकार क्षेत्र का अवैध रूप से प्रयोग किया है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप मुकदमे की सुनवाई लंबी हो जाएगी जो पहले से ही 16 साल से अधिक पुरानी है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने ***एआईआर 2003 एससी 2508*** में रिपोर्ट किए गए ***रमेश चंद अरदावतिया बनाम अनिल पंजवानी*** के मामले का हवाला दिया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि संशोधन के माध्यम से या बाद की दलील के माध्यम से प्रतिदावा की अनुमति देने का परिणाम मुकदमे को लंबा करना, कार्यवाही के अन्यथा सुचारू प्रवाह को जटिल बनाना या अदालत द्वारा पहले से उठाए गए कदमों को वापस लेने के लिए मजबूर करके मुकदमे की प्रगति में देरी करना होगा, तो अदालत को अपने विवेक का प्रयोग करने में उचित ठहराया जाएगा विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी तृतीय पक्ष के प्रतिदावे को दाखिल करने के 15 वर्ष बाद तथा वादीगण के साक्ष्य बंद होने के बाद तथा प्रतिवादियों के साक्ष्य शुरू होने के बाद स्वीकार करना अनुचित तथा अवैध है तथा इसे दरकिनार किया जाना उचित है।

4. प्रतिवादी संख्या 3, 5 और 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि विद्वान निचली अदालत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की

आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रतिदावा 18.03.2008 को लिखित बयान के साथ दायर किया गया था, लेकिन किसी कारण से प्रतिदावा स्वीकार नहीं किया जा सका। सिस्तेदार रिपोर्ट मांगी गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रिपोर्ट 2020 तक प्रस्तुत नहीं की गई थी और जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो वह दोषपूर्ण पाई गई और एक अन्य रिपोर्ट मांगी गई और उक्त रिपोर्ट 16.09.2021 को प्रस्तुत की गई। सिस्तेदार रिपोर्ट के आलोक में, प्रतिवादियों ने न्यायालय शुल्क के रूप में 2,830/- रुपये का भुगतान किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि सिरस्टेडर रिपोर्ट उचित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई थी, तो जवाब देने वाले प्रतिवादियों/प्रतिवादियों की कोई गलती नहीं है और यह केवल न्यायालय की गलती के कारण है कि प्रतिदावे की स्वीकृति पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सका, हालांकि यह 2008 से लंबित है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने ***जग मोहन चावला एवं अन्य बनाम डेरा राधा स्वामी, सत्संग एवं अन्य*** के निर्णय का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट ***एआईआर 1996 एससी 2222*** में दी गई थी और कहा कि प्रतिदावे का वादी द्वारा दलील दिए गए मामले के मूल कारण से संबंधित या जुड़ा होना जरूरी नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उपरोक्त मामले में, विद्वान सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी प्रतिवाद के माध्यम से किसी भी अधिकार का दावा कर सकता है, जो उसे प्राप्त हुआ है, भले ही यह वादी द्वारा बताए गए कार्रवाई के कारण से स्वतंत्र हो विद्वान अधिवक्ता ने इसके बाद ***गणेश तिवारी एवं अन्य बनाम रमाकांत तिवारी एवं अन्य (2007) 1 जेएलजेआर 47 (एचसी)*** के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना था कि प्रतिवादी किसी भी कार्रवाई के कारण

के संबंध में प्रतिदावे के माध्यम से किसी भी अधिकार का दावा कर सकता है, भले ही वह वादी द्वारा बताए गए कार्रवाई के कारण से स्वतंत्र हो। और आगे यह भी माना कि केवल इसलिए कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में प्रतिदावे के माध्यम से शामिल की जाने वाली संपत्ति के संबंध में घोषणा के लिए अलग से मुकदमा दायर किया जाना स्वीकार्य होगा, यह उसी मुकदमे में प्रश्न का निर्णय करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा किए गए प्रतिदावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

5. प्रत्यर्थी संख्या 8 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस प्रत्यर्थी का भी वाद सम्पत्ति में हिस्सा है और यदि प्रतिदावा रिकार्ड पर रहने दिया जाता है तो वह अपने पिता गंगा प्रसाद सिंह, जो अब मर चुके हैं, की सम्पत्ति में एक हिस्सा पाने की हकदार होगी।

6. मैंने पक्षकारों के प्रतिद्वन्द्वी प्रस्तुतीकरण पर गहनता से विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिदावे को बहुत विलम्ब से स्वीकार किया जा सकता था और जब प्रतिदावे की विषय-वस्तु पर आपत्ति की गई थी।

8. ***सत्येन्द्र*** (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 16 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

> *"16...मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए विधानमंडल प्रतिदावा दायर करने की अनुमति देता है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं, जैसे कि प्रतिदावा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं से आगे नहीं बढ़ सकता और ऐसा प्रतिदावा प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने से पहले या उसके बचाव प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त होने से*

पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा प्रतिदावा वादी के विरुद्ध होना चाहिए! स्पष्टतः, वर्तमान मामले में प्रतिदावा वादी के विरुद्ध नहीं था। इसके अलावा, चूँकि वादी ने संपत्ति पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया था और किला संख्या 6/8 और 23 वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित वाद संपत्ति का हिस्सा भी नहीं हैं, इसके बावजूद, वादी के विरुद्ध ऐसा दावा स्वीकार कर लिया गया है। वास्तव में, हमें प्रतिदावे के विरुद्ध वादी द्वारा प्रस्तुत कोई उत्तर अभिलेख में नहीं मिलता। निष्पक्षता से कहें तो, ऐसे प्रतिदावे को **सीपीसी के आदेश** VIII, **नियम** 6C *के अनुसार बहिष्कृत किया जाना चाहिए था। यहां यह बताना पर्याप्त है कि प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावे को उच्च न्यायालय ने सही रूप से खारिज कर दिया है।"*

9. मामले के तथ्यों से यह पता चलता है कि वादी/याचिकाकर्ता ने अनुसूची 1ए और अनुसूची 1बी की भूमि पर वादी के स्वामित्व की घोषणा और वादी के पक्ष में कब्जे की वसूली के लिए राहत प्रदान करने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी-अपनी दीवार और बाड़ हटा लें और अनुसूची 1ए और 1बी की भूमि का खाली कब्जा वादी को सौंप दें, इसके अलावा उन्होंने स्थायी निषेधाज्ञा की राहत की मांग की है।

10. अब अनुसूची 1ए और 1बी की भूमि का वर्णन इस प्रकार किया गया है:-

अनुसूची I:- ग्राम-गोशपुर, थाना-दलसिंहसराय, जिला- समस्तीपुर

अनुसूची 1ए की भूमि:-

खाता नं.	सी. एस. पी. नं.	क्षेत्र	सीमा

189	2054(पी)	15 धुर	एन-भूमि का निर्विवाद हिस्सा एस-प्रतिवादी प्रथम पक्ष और अन्य सह-हिस्सेदार ई-प्रतिवादी द्वितीय पक्ष डब्ल्यू-रोड

अनुसूची । बी भूमिः

खाता नं.	सी. एस. पी. नं.	क्षेत्र	सीमा
189	2054(पी)	10 धुर	एन-प्रतिवादी द्वितीय पक्ष एस-निर्विवाद वादी भूमि का हिस्सा ई-प्रतिवादी द्वितीय पक्ष डब्ल्यू-रोड

दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने अपने प्रतिदावे में यह अनुतोष माँगा है कि प्रतिदावे की अनुसूची 1 की भूमि का सीमांकन दिनांक 06.06.1968 के विभाजन विलेख के अनुसार किया जाए और सर्वेक्षण जानकार प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति के बाद, संबंधित पक्ष की भूमि आनुपातिक रूप से काटी जाए और संबंधित पक्षों को संबंधित हिस्सों पर कब्ज़ा दिया जाए। अब, प्रतिदावे की अनुसूची 1 इस प्रकार है:-

मौज़ा-गोशपुर इनायत, थाना-दलसिंगसराय, थाना नं. 70, परगना-सरायसा, जिला-समस्तीपुर

खाता नं.	खेसरा नं.	रकवा/क्षेत्र एकड़-डिसमल
102	2054	0-25
18	2029	0-11
189	2027 667 668 669	0-11 0-3 0-3 0-5 उत्तर से
154	742	0-5 दक्षिण से
211	666	0-3 दक्षिण से
126	662	0- 2 1/2

11. वादी और प्रतिवादियों के दावों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चूँकि वादी का दावा केवल कुछ प्रतिवादियों के विरुद्ध है, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्होंने उस भूमि पर अतिक्रमण किया है जो वादी को दिनांक 06.06.1968 के विभाजन विलेख में मिली थी, प्रतिवादी अपने प्रतिदावे में उस समस्त भूमि को, जिसका दिनांक 06.06.1968 का विभाजन हुआ था, विवाद में लाना चाहते हैं और दिनांक 06.06.1968 के विभाजन विलेख के अनुसार अपनी अलग पट्टी बनाने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति की

मांग कर रहे हैं। स्पष्टतः, प्रतिवादियों/प्रतिवादियों का प्रतिदावा न केवल वादी/याचिकाकर्ताओं के दावे के विरुद्ध है, बल्कि उससे कहीं अधिक व्यापक है। इसके अलावा, दावा केवल वादी और प्रतिवादियों के विरुद्ध ही नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी हो सकता है जिन्हें वादी द्वारा प्रतिवादी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया था।

12. इसके अलावा, संहिता का आदेश VIII नियम 6ए में निम्नलिखित प्रावधान है:-

> ***" 6ए. प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा***
>
> ***(1)*** *किसी वाद में प्रतिवादी, नियम 6 के अधीन मुजरा कराने के अपने अधिकार के अतिरिक्त, वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावे के रूप में, प्रतिवादी को वादी के विरुद्ध वाद हेतुक के संबंध में कोई अधिकार या दावा, वाद दायर करने से पहले या उसके बाद, परंतु प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने से पहले या अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने से पहले, प्रोद्भूत कर सकता है। चाहे ऐसा प्रतिदावा क्षति के दावे की प्रकृति का हो या नहीं: बशर्ते कि ऐसा प्रतिदावा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं से अधिक न हो।*
>
> ***(2)*** *ऐसे प्रतिदावे का प्रतिवाद के समान प्रभाव होगा ताकि न्यायालय एक ही वाद में मूल दावे और प्रतिदावे, दोनों पर अंतिम निर्णय सुना सके।*
>
> ***(3)*** *वादी न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवादी के प्रतिदावे के उत्तर में लिखित कथन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।*
>
> ***(4)*** *प्रतिदावे को वादपत्र के रूप में माना जाएगा तथा उस पर वादपत्र पर लागू नियमों का पालन किया जाएगा।"*

सत्येंद्र (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ वैधानिक प्रावधान को पढ़ने पर, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि प्रतिवादी केवल वादी के दावे के विरुद्ध ही प्रतिदावा दायर करने के हकदार हैं। यदि वाद की संपत्ति पूरी तरह से बदल दी गई है और वाद की संपत्ति पर अपना अधिकार और हित जताने और उसके लिए राहत मांगने के बजाय, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने अपने प्रतिदावे में उल्लिखित भूमि के सीमांकन और सर्वेक्षण जानकार प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति द्वारा अपनी अलग पट्टी बनाने का दावा किया है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि वादी का दावा है कि विभिन्न शाखाओं के बीच पहले ही पृथक्करण हो चुका है और सह-हिस्सेदारों को पहले ही अपने शेयरों का कब्जा मिल चुका है और ऐसा कोई मामला नहीं है कि अलग पट्टियाँ अभी बनाई जानी हैं। इसलिए, प्रतिवादियों के प्रतिदावे को आदेश VIII नियम 6A के अनुसार और जैसा कि ***सत्येंद्र*** (उपरोक्त) मामले में स्पष्ट किया गया है, प्रतिवादी का प्रतिदावा स्ट्रिक्टो सेन्सु नहीं कहा जा सकता। विशिष्ट तथ्यों के प्रकाश में, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ***जग मोहन चावला*** (उपरोक्त) के मामले पर भरोसा करना अधिक मददगार नहीं है।

13. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र में त्रुटि की है क्योंकि उसने जवाबी दावे को स्वीकार करने में केवल विलंब के आधार पर विचार किया, जबकि उसे जवाबी दावे के गुण-दोषों पर विचार करना चाहिए था, जो कि उसका कर्तव्य था, जिसमें वह विफल रहा। अतः, दिनांक 20.07.2023 का आक्षेपित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता और इसलिए उसे दरकिनार किया जाता है।

14. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्त्ति)

अनुराधा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।